राजबाला वर्मा, भा.प्र.से.
Rajbala Verma, I.A.S.

झारखण्ड सरकार

सरकार के मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार
Chief Secretary to Government
Government of Jharkhand

पत्रांक 1865 /सी.एस.
दिनांक 31/07/17

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय :- मनरेगा अंतर्गत सप्ताहिक रोज़गार दिवस के आयोजन के सम्बन्ध में ।

ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा का संचालन सुनिश्चित करने एवं प्रशासनिक व्यवस्था और मज़दूरों के बीच की दूरी कम करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में साप्ताहिक रोज़गार दिवस का आयोजन किया जाना है (अगर पंचायत भवन नहीं है तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर रोज़गार दिवस का आयोजन हो)।

रोज़गार दिवस के आयोजन से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण निदेश निम्नवत है:-

- रोज़गार दिवस में ग्राम रोज़गार सेवक एवं पंचायत सेवक को अनिवार्य रूप से पूर्वाहन 11:00 बजे से लेकर अपराहन के 02:00 बजे तक पंचायत भवन में उपस्थित रहना है।
- रोज़गार दिवस में ग्राम पंचायत मुखिया, उप मुखिया व सभी वार्ड सदस्यों को मज़दूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक एवं प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहना है।
- रोज़गार दिवस का आयोजन दिन संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, महिला संगठनों व मज़दूर संगठनों के सदस्यों आदि के साथ विमर्श कर तय किया जाएगा।
- रोज़गार दिवस के दिन रोज़गार सेवक व पंचायत सेवक को निम्नलिखित सामग्री के साथ पंचायत भवन में उपस्थित रहना है :-

1. जॉब कार्ड आवेदन के 100 फॉर्म ।
2. काम के आवेदन के 100 फॉर्म ।
3. ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड धारियों की सूची ।
4. ग्राम पंचायत में मज़दूरों के खातों की सूची ।
5. ग्राम पंचायत में चालू व स्वीकृत योजनाओं की सूची ।
6. ग्राम पंचायत में योजना बनाओ अभियान के दौरान नियोजित मनरेगा कार्यों की सूची ।
7. जॉब कार्ड में लगने वाली फ़ोटो खीचने के लिए कैमरा ।

- काम की मांग करने के **<u>एक कार्य दिवस के अन्दर ही</u>** मांग की NREGASoft में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम रोज़गार सेवक जॉब कार्ड व काम की मांग को पंचायात भवन में संधारित रजिस्टर में चढ़ाएंगे। यह रजिस्टर सार्वजनिक होगा और कोई भी इसे देख सकता है।

- मज़दूर रोज़गार दिवस में ग्राम रोज़गार सेवक/पंचायत सेवक को जॉब कार्ड नवीनीकरण, खोए हुए जॉब कार्ड के बदले नया जॉब कार्ड बनवाने एवं जॉब कार्ड में हाल ही में हुए वयस्क सदस्यों के नाम जुड़वाने का आवेदन भी दे सकते हैं। ऐसे हर आवेदक को रसीद दी जानी है जिसपर आवेदन प्राप्त करने की तिथि व प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा। जॉब कार्ड का आवेदन कर रहे परिवारों से उनकी फ़ोटो नहीं माँगी जाएगी। फ़ोटो खीचने व छापने की ज़िम्मेदारी ग्राम रोज़गार सेवक/पंचायत सेवक की है और सम्बंधित खर्च मनरेगा के प्रशासनिक मद से दिया जाएगा।

- रोज़गार सेवक जॉब कार्ड का आवेदन कर रहे परिवारों का जल्द से जल्द जॉब कार्ड बनाकर (किसी भी हालत में 15 दिनों के अन्दर) रोज़गार दिवस में ही जॉब कार्ड का वितरण करेंगे। हर नए बने जॉब कार्ड की तुरंत www.nrega.nic.in में प्रविष्टि की जाएगी।

- काम की मांग कर रहे मज़दूरों को जल्द से जल्द (किसी भी हालत में 15 दिनों के अन्दर) काम आवंटित किया जाएगा। मज़दूरों को जिस दिन से काम आवंटित हुआ है और जिस योजना में काम आवंटित हुआ है, इसकी सूचना उन्हें रोज़गार दिवस में दी जाएगी। अगर 15 दिनों में मज़दूरों को काम का आवंटन कर सूचित नहीं किया जाता है, तो उन्हें मनरेगा प्रावधानों के अनुसार बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। भत्ते की राशि सम्बंधित मनरेगा कर्मी व पदाधिकारी से वसूली जाएगी।

- रोज़गार दिवस में अगर मज़दूर मनरेगा संबधित कोई शिकायत दर्ज करता हैं, जैसे समय पर मज़दूरी न मिलना या कार्यस्थल पर सुविधाएं नहीं मिलना, तो ग्राम रोज़गार सेवक/पंचायत सेवक इन शिकायतों को प्राप्त करेंगे और मज़दूर को रसीद देंगे जिसपर शिकायत प्राप्त करने की तिथि व प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा।

- फैले हुए एवं पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों व मज़दूरों के साथ विमर्श कर के रोज़गार दिवस का आयोजन गाँव अथवा क्लस्टर स्तर पर किसी सामुदायिक भवन/स्थल पर किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक मज़दूर रोज़गार दिवस में भाग ले सकें।

- पंचायत के महिला संगठन, मज़दूर संगठन व गैर-सरकारी संस्थाओं से विमर्श कर उनसे भी रोज़गार दिवस को सक्रिय करने का अनुरोध किया जाए। रोज़गार दिवस के विषय में दीवाल लेखन, पर्चों, स्थानीय अखबारों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

- ग्राम पंचायतों को सक्रिय करने के लिए आजीविका मिशन से जुड़े महिला संगठनों (SHG, ग्राम संगठन, फेडरेशन) में एक "चलो रोज़गार दिवस में" अभियान चलाया जाएगा।

अगर किसी भी मनरेगा कर्मी व पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त निदेशों के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है, तो उनपर मनरेगा की धारा 25 अंतर्गत प्रत्येक उलंघन के लिए 1000 रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।

इन निर्देशों से प्रखंड विकास पदाधिकारी को तुरंत अवगत कराते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पत्र की प्रति सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं एवं उपरोक्त मार्गदर्शिका पर उनके एवं मनरेगा कर्मियों का उन्मुखीकरण सुनिश्चित करें| आशा है कि आने वाले दिनों में मनरेगा का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव।

31.7.2017